



कार्यालय उपायुक्त, जोन-7, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक :-

दिनांक:-

भवन निर्माण मानचित्र प्राप्ति रसीद हेतु आवेदन पत्र

पंजीकृत वास्तविदों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement)

प्रारूप-ब

प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement)

श्रीमान राजकुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल अग्रवाल, शोभना अग्रवाल पत्नि श्री आशिष अग्रवाल, बबीता अग्रवाल पत्नि श्री राजकुमार अग्रवाल, मैसर्स एप्पल होम्स जरिए भागीदार श्री राजकुमार अग्रवाल, मनु अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल

निवासी:- 298, हथरोई स्कूल के सामने, अजमेर रोड़, जयपुर

विषय:-आवेदित भूखण्ड प्लॉट न. A-1 (E.P.), A-1 (W .P.), A-2 (N .P.), A-2 (S .P.), A-3 (N .P.), A-3 (S .P.), आचार्य विनोबा भावे नगर, जयपुर हेतु प्रस्तुत भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की **Acknowledgement** बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित भूखण्ड प्लॉट न. A-1 (E.P.), A-1 (W .P.), A-2 (N .P.), A-2 (S .P.), A-3 (N .P.), A-3 (S .P.), आचार्य विनोबा भावे नगर, जयपुर के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकीविद् से अनुमोदित मानचित्र कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा, मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 6(i) एवं 6(ii) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार ही किया जाना होगा अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।



प्रतिलिपि

1. उपायुक्त, जोन-7
2. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय उपायुक्त, जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त, जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर